रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 440] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 2, 2008/चैत्र 13, 1930
No. 440] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 2, 2008/CHAITRA 13, 1930

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2008

का.आ. 802(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, उक्त अधिनियम की अनुसूची-II में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अनुसूची के पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2. (1) ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, गृहस्थी को रजिस्टर करे और गृहस्थी के रजिस्ट्रीकृत वयस्क सदस्यों के निम्नलिखित आवश्यक ब्यौरों वाला एक कार्य कार्ड जारी करे, अर्थात् :—

(i) कार्य कार्ड संख्या ;

(ii) गृहस्थी के सदस्य-वार कार्य की मांग और आवंटन ;

(iii) किए गए कार्य का वर्णन ;

(iv) कार्य करने की तारीखें और दिन ;

(v) उस मस्टर रोल का संख्यांक, जिसके द्वारा मजदूरी संदत्त की गई ;

(vi) संदत्त मजदूरी की रकम ;

(vii) बेकारी भत्ता, यदि कोई संदत्त किया गया हो ;

(viii) डाक महसूल लेखा/बैंक खाता संख्या ;

(ix) बीमा पालिसी संख्या; और

(x) मतदाता फोटो पहचान पत्र/मतदाता पहचान पत्र, यदि कोई हो संख्या ।

(2) कार्य कार्ड पर सभी प्रविष्टियां प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित होंगी ।

(3) उपपैरा (1) के अधीन जारी कार्य कार्ड पर गृहस्थी के केवल उन्हीं रजिस्ट्रीकृत वयस्क सदस्यों के फोटो होंगे, जिनको कार्य कार्ड जारी किया गया है ।

(4) गृहस्थी के ऐसे रजिस्ट्रीकृत वयस्क सदस्यों, जिनका वह कार्य कार्ड हो, से भिन्न किसी व्यक्ति का फोटो, नाम या ब्यौरे कार्य कार्ड पर चिपकाए या अभिलिखित नहीं किए जाएंगे ।

(5) सभी कार्य कार्ड उन कार्य कार्डधारकों की अभिरक्षा में रहेंगे, जिनके वे हैं ।

[फा. सं. जे-11013/1/2008-एनआरईजीए]

अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण.—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की अनुसूची निम्नलिखित अधिसूचना सं. द्वारा संशोधित की गई :—

1. का.आ. 324(अ), तारीख 6 मार्च, 2007 ।

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2008

S.O. 802(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government, on being satisfied that it is necessary and

expedient so to do, hereby makes the following further amendments in Schedule II to the said Act, namely :—

2. In the said Schedule, for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"2. (1) It shall be the duty of the Gram Panchayat to register the household, after making such enquiry as it deems fit, and issue a Job Card containing the following essential details of registered adult members of the household, nemely :—

(i) Job Card number;

(ii) household member-wise work demand and allocation;

(iii) description of the work done;

(iv) dates and days worked;

(v) muster roll numbers by which wages have been paid;

(vi) amount of wages paid;

(vii) unemployment allowance, if any paid;

(viii) postal account/bank account number;

(ix) insurance policy number; and

(x) elector's photo identity card number voters identity, if any.

(2) All entries in the Job Card shall be duly authenticated by signature of an authorised officer.

(3) The Job Card issued under sub-paragarph (1) shall bear the photographs of only the registered adult members of the households to whom the Job Card has been issued.

(4) No photograph, name or details of any person other than that of the registered adult membrs of the household to whom that Job Card belongs shall be affixed or recorded in the Job Card.

(5) All Job Cards shall be in the custody of the Job Card holders to whom they belong.

[F. No. J-11013/1/2008-NREGA]

AMITA SHARMA, Jt. Secy.

Note.—Schedule II to the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) has been amended *vide* following notification numbers :—

1. S.O. 324(E), dated 6th March, 2007.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.